

अपील सूचना अधिकार संख्या 44/2021 (RCMS 2021/70) (RTI-212283971496859) श्री मदन सिंह पुत्र श्री मोहब सिंह राठौड़ ग्राम व पो. लादड़िया तहसील व जिला चुरू (पिन - 331029) बनाम तहसीलदार (राजस्व), घड़साना




**06.09.2021**

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मदन सिंह उपस्थित नहीं है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 14.03.2021 से तहसीलदार (भू.अ.), घड़साना से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आठ बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार (राजस्व), घड़साना को दण्डित करने एवं बिन्दुवार सूचना अविलम्ब उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 30.04.2021 को पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 14.03.2021 के द्वारा तहसीलदार (भू.अ.), घड़साना के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. श्रीमानजी, राज्य लोक सूचना एवं लोक सूचना अधिकारी का पूरा नाम, पदनाम एवं पूर्ण पता (निवास एवं कार्यालय) फोन नम्बर सहित प्रदान करें।
2. श्रीमानजी, प्रथम अपील प्राधिकारी का पूरा नाम, पदनाम एवं पूर्ण पता (निवास एवं कार्यालय) फोन नम्बर सहित प्रदान करें।
3. श्रीमानजी लिखित सूचना प्रदान करें क तहसीलदार (राजस्व), घड़साना में वाहन चालक के

  
जिला कलेक्टर  
श्रीगंगानगर



पद जनवरी 2012 से मार्च 2021 तक कितने पद स्वीकृत है।

4. लिखित सूचना प्रदान करें कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), घड़साना में वाहन चालक के पद जनवरी 2012 से मार्च 2021 तक कितने पद कार्यरत है।
5. श्रीमान्जी लिखित सूचना प्रदान करें कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), घड़साना में वाहन चालक के पद जनवरी 2012 से मार्च 2021 तक कितने पद रिक्त है।
6. श्रीमान्जी, लिखित सूचना प्रदान करें कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), घड़साना के वाहन सं. आरजे 13 यूए 3978 के वाहन चालक की 2012-13 से 2021-21 तक के वाहन चालक का पदनाम एवं शैक्षणिक योग्यता की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदान करें।
7. श्रीमान्जी, लिखित सूचना प्रदान करें कार्यालय तहसीलदार(राजस्व), घड़साना के वाहन सं. आरजे 13 यूए 3978 के वाहन चालक का पद रिक्त होते हुए प्राईवेट वाहन चालक एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा वाहन को चलाने के कार्मिक विभाग एवं जिला कलक्टर महोदय द्वारा आदेशों की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदान करें
8. श्रीमान्जी लिखित सूचना प्रदान करें कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) घड़साना के वाहन सं. आरजे 13 यूए 3978 की पेट्रोल पम्पों आदि द्वारा डीजल (एचएसडी) एवं मार्केट द्वारा मरम्मत आदि करवाने वाले वाहन चालक का पदनाम, शैक्षणिक योग्यता दिनांक 15 सितम्बर 2020 से 15 मार्च 2021 के आदेशों की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदान करें।

तहसीलदार (राजस्व) घड़साना ने अपने पत्रांक विविध/सू.का.अ.

/2021/485 दिनांक 19.04.2021 से प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित

किया है

  
जिला कलेक्टर  
श्रीगंगानगर

क्र. सं.	चाही गई सूचना	सूचना
1	श्रीमानजी, राज्य लोक सूचना एवं लोक सूचना अधिकारी का पूरा नाम, पदनाम एवं पूर्ण पता (निवास एवं कार्यालय) फोन नम्बर सहित प्रदान करें।	दानाराम, तहसीलदार (राजस्व), घडसाना पता तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर फोन नं. 01506-250770
2	श्रीमानजी, प्रथम अपील प्राधिकारी का पूरा नाम, पदनाम एवं पूर्ण पता (निवास एवं कार्यालय) फोन नम्बर सहित प्रदान करें।	श्री जाकिर हुसैन, पदनाम जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर, पता कलेक्टर, श्रीगंगानगर फोन नं. 0154-2440988
3	श्रीमान्जी लिखित सूचना प्रदान करें कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), घडसाना में वाहन चालक के पद जनवरी 2012 से मार्च 2021 तक कितने पद स्वीकृत है।	शून्य
4	लिखित सूचना प्रदान करें कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), घडसाना में वाहन चालक के पद जनवरी 2012 से मार्च 2021 तक कितने पद कार्यरत है।	शून्य
5	श्रीमान्जी लिखित सूचना प्रदान करें कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), घडसाना में वाहन चालक के पद जनवरी 2012 से मार्च 2021 तक कितने पद रिक्त है।	वाहन चालक का पद रिक्त है।

6	श्रीमान्जी, लिखित सूचना प्रदान करें कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), घड़साना के वाहन सं. आरजे 13 यूए 3978 के वाहन चालक की 2012-13 से 2021-21 तक के वाहन चालक का पदनाम एवं शैक्षणिक योग्यता की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदान करें।	वाहन चालक का पद रिक्त है।
7	श्रीमान्जी, लिखित सूचना प्रदान करें कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), घड़साना के वाहन सं. आरजे 13 यूए 3978 के वाहन चालक का पद रिक्त होते हुए प्राईवेट वाहन चालक एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा वाहन को चलाने के कार्मिक विभाग एवं जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशों की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदान करें	पृष्ठ संख्या 01
8	श्रीमान्जी लिखित सूचना प्रदान करें कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) घड़साना के वाहन सं. आरजे 13 यूए 3978 की पेट्रोल पम्पों आदि द्वारा डीजल (एचएसडी) एवं मार्केट द्वारा मम्मत आदि करवाने वाले वाहन चालक का पदनाम, शैक्षणिक योग्यता दिनांक 15 सितम्बर 2020 से 15 मार्च 2021 के आदेशों की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदान करें।	पृष्ठ संख्या 01

-sd-

तहसीलदार (राजस्व),  
घड़साना

  
जिला कलेक्टर  
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का उत्तर तहसीलदार, घड़साना द्वारा दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात् दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात् विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते हैं और न ही वे स्वयं का मत दे सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है। इसलिए तहसीलदार, घड़साना ने अपीलार्थी को दिनांक 19.04.2021 को जो उत्तर दिया है, वह सही है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), घड़साना को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तत्काल तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)

जिला कलेक्टर  
श्रीगंगानगर